कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) राजसमंद राजस्थान

जिला कलेक्ट्रट कमरा नम्बर 218 व 219

ग्राम :

फोन : 02952 221547

ई–मेल : **rajsamanddeo@gmail.com** प्रारूप –2

फैक्स : 02952 221547

क्रमांक : जिशिअ / प्राशि / राजस / शैप्र0 / 11 / आरटीई / 95 दिनांक : 31.1.12

प्रबन्धक / व्यवस्थापक
श्री जी एज्युकेशनल एण्ड वेलफेयर
सोसायटी, नाथद्वारा

विषय :नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवाय बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम ।। के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक 10.10.11 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं श्री जी पब्लिक सीनियर सैकण्डरी स्कूल, नाथद्वारा ग.ग. खमनोर जिला-राजसमंद (विद्यालय का नाम पते सहित) को सत्र 2011-12 से तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूं। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन है:–

1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा–8 के पश्चात् मान्यता / संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2 विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3 विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ौस के कमजोर वर्गों और अलाभप्रद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4 पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5 सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6 विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या प्रजाति या इनमें किसी एक उपलब्ध / निर्धारित आधार पर उत्तारवर्ती चाहा गया है।

7 **विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :–**

(i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम–23 के अधीन अधिकथित किए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का समावेश किया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्त्तव्यों का पालन करता है, और

PRINCIPAL
SHREE JEE PUBLIC
SENIOR SECONDARY SCHOOL
NATHDWARA-313301

DIRECTOR
SHREE JEE PUBLIC
SR. SEC. SCHOOL
NATHDWARA-313301

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9 विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में अधिकथित, विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधाओं के अनुपात में विद्यार्थियों का नामांकन करेगा।

10 विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथानिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदन की गई प्रसुविधाऐं निम्नानुसार हैं :–

विद्यालय परिसर का क्षेत्र	15565
कुल निर्मित क्षेत्र	10560
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	
कक्षा कमरों की संख्या	30
प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष	4
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	5-5
पेयजल सुविधा	नल
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई	1
बाधा रहित पहुंच	हां
अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता	संलग्न सूची अनुसार

11 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोइ गैर मान्यता प्राप्त कक्षाऐ नहीं चलाई जाएंगी।

12 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

13 विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

14 विद्यालय को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

15 विद्यालय के लेखाओं की चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) राजसमंद को भेजी जानी चाहिए।

16 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 30 ....है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करे।

17 विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) राजसमंद द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कायकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाऐं।

18 सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

19 संलग्न उपाबंध–III के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा राजसमंद

PRINCIPAL
SHREE JEE PUBLIC
SENIOR SECONDARY SCHOOL
NATHDWARA 313301

DIRECTOR
SHREE JEE PUBLIC
SR. SEC. SCHOOL
NATHDWARA-313301

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा राजसमन्द

कार्यालय पता : बालिका छात्रावास, कोयड़ भीलवाड़ा रोड़ कांकरोली
Phone : 02952-231547 E-mail : rajsamanddeo@gmail.com

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

कमांक : जिशिअ / मु0 / प्राशि / राजस / आरटीई / 2022 / 1317 दिनांक : - 25.05.2022.

प्रबंधक / व्यवस्थापक / संस्था प्रधान
श्रीजी पब्लिक सीनियर सैकण्डरी स्कुल नाथद्वारा

विषय :– आरटीई मान्यता के संबध में।
प्रसंग :– श्रीमान् आपका पत्र दिनांक 25.05.2021 के कम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम II के उप नियम (4) के अधीन आपके विद्यालय को प्रारूप 02 के अन्तर्गत सत्र 2011–12 से तीन वर्ष की अवधि हेतु मान्यता प्रदान की गई थी उक्त के कम में लेख है कि श्रीमान् वरिष्ठ शासन उप सचिव स्कूल शिक्षा ग्रुप 05 के पत्र दिनांक 05.03.2018 एवं श्रीमान् निदेशक महोदय प्राशि राजस्थान बीकानेर के पत्र कमांक 87 दिनांक 24.04.2018 में वर्णित बिन्दु संख्या 02 में जिन गैर सरकारी विद्यालयों के निरीक्षण उपरान्त मान एवं मानक पूर्ण थे उनकी मान्यता स्थाई मानी जावे के संबधित निर्देश प्रदान किये गये थे। इस संबध में स्थानीय कार्यालय द्वारा विश्लेषण करने पर पाया गया की निरीक्षण दल द्वारा आपके विद्यालय के संबध मे आरटीई मान्यता हेतु मान एवं मानक पूर्ण पाये गये।

अतः प्रासंगिक पत्रो मे प्रदत्त निर्देशों के कम में आपके विद्यालय को स्थानीय कार्यालय के पत्रांक जिशिअ / प्राशि / राजस / शैप्र / 11 / आरटीई / 95 दिनांक 31.01.2012 द्वारा **प्रारूप 02 के अन्तर्गत जारी मान्यता प्रमाण पत्र को स्थाई किया जाता है।** उक्त आदेश आज दिनांक 25.05.2022 के पश्चात एवं पूर्व की अवधि / सत्रों (तीन वर्ष तक जारी अस्थाई मान्यता के पूर्ण होने के पश्चात) हेतु मान्य होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय प्राशि राजसमन्द
(मुख्यालय) प्रा. शि. राजसमन्द

प्रतिलिपि :–
01. श्रीमान् निदेशक महोदय प्राशि राजस्थान बीकानेर।
02. कार्यालय प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय प्राशि राजसमन्द
(मुख्यालय) प्रा. शि. राजसमन्द

PRINCIPAL
SHREE JEE PUBLIC
SENIOR SECONDARY SCHOOL
NATHDWARA 313301

DIRECTOR
SHREE JEE PUBLIC
SR. SEC. SCHOOL
NATHDWARA-313301